

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112021-231332 CG-DL-E-24112021-231332

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] No. 587] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/अग्रहायण 3, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 3, 1943

# भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

फा. सं.स्टैंडर्ड्स/एस.पी.-21/टी(अल्कोहल-3).—खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

6786 GI/2021 (1)

### प्रारूप विनियम

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2021 है।
  - (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 के,-
  - (1) भाग 1 के, उप-विनियम 2.1.16 के पश्चात निम्नलिखित स्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
    - "1.2.17 अल्कोहिलक पेय के गैर-अल्कोहिलक समकक्ष का अर्थ है गैर-अल्कोहिलक पेय जिसमें अल्कोहल की मात्रा 0.5% abv से कम या उसके बराबर हो। यह ईथाइल अल्कोहल सामग्री को छोड़कर मूल के संबंधित अल्कोहिलक पेय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, मूल के मादक पेय को किण्वन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और उसके बाद उत्पादित शराब को हटा दिया जाएगा।"
  - (2) भाग 4 में, उप-विनियम 4.2(1) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
  - "4.2(2) सुवासित बीयर: खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुवासित बीयर। ऐसी बीयर इन नियमों के तहत निर्दिष्ट बीयर की अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./449/2021-22]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2/एस.ए-24/2009(1)/एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यांकों द्वारा संशोधित किये गए थे;-

(i) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी (जल और पेय) अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2019, तारीख 18 दिसंबर, 2020.

# FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

**F. No. Std/SP-21/T(Alcohol-3).**—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi - 110002, or may be sent through e-mail at regulation@fssai.gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Food Authority.

#### **Draft regulations**

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, -
  - (1) in Part 1, after the sub-regulation 1.2.16, following shall be inserted, namely:-
  - "1.2.17 "Non-alcoholic counterpart of alcoholic beverage" means non-alcoholic beverage having alcohol content less than or equal to 0.5% abv. It shall meet all the requirements of respective alcoholic beverage of origin except the ethyl alcohol content. Additionally, the alcoholic beverage of the origin must undergo the process of fermentation and the produced alcohol is removed thereafter."
  - (2) in Part 4, after sub-regulation 4.2(1), following shall be inserted, namely:-
  - "4.2(2) Flavoured Beer: Beer containing flavours as per the provisions prescribed under the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. Such Beer shall meet all the other requirements of the Beer, as specified under these regulations."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./449/2021-22]

**Note:** The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated 19th March, 2018 and subsequently amended vide notification numbers,-

F. No. Stds/SP (water and Beverages)/Notification(1)/FSSAI-2019 dated 18<sup>th</sup> December, 2020.